



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-बी.आर.-अ.-04082021-228734
CG-BR-E-04082021-228734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]
No. 430]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 2021/श्रावण 13, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021/SRAVANA 13, 1943

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 4 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 529(अ)- कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 14, उप-विनियम (2) के प्रावधान के अनुसार, मैं, प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देने तथा प्राथमिक उपचार सक्षमता प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान / प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निम्नलिखित मानकों को एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता हूँ :

1.0 केंद्र:

- 1.1 व्याख्यान हॉल : कम से कम एक पर्याप्त हवादार, प्रकाशमान व्याख्यान हॉल हो जिसमें पर्याप्त बैठने एवं लिखने की व्यवस्था हो, कंप्यूटर, एलईडी डिस्प्ले/ एलसीडी प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर स्क्रीन, माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम, व्हाइट बोर्ड पेन के साथ व्हाइट बोर्ड का प्रावधान हो।
- 1.2 व्यावहारिक प्रशिक्षण गैलरी/ हॉल: एक पर्याप्त हवादार, प्रकाशमान, पर्याप्त आकार का गैलरी/ हॉल व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु।
- 1.3 प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अधिकारी कक्ष: एक कक्ष संलग्न वॉशरूम एवं उपयुक्त फर्नीचर सहित।
- 1.4 प्रशिक्षक कक्ष: कम से कम एक प्रशिक्षक कक्ष उपयुक्त फर्नीचर सहित।
- 1.5 रिकॉर्ड कक्ष: कम्प्यूटर सिस्टम के साथ एवं दस्तावेजों को रखने के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं सहित।
- 1.6 मल्टी टास्किंग स्टाफ कक्ष फर्नीचर सहित।

1.7 जलपान परोसने के लिए एक पेंट्री सह कैफेटेरिया।

1.8 वॉशरूम/शौचालय - महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग |

1.9 स्वच्छ ठंडे पेयजल की व्यवस्था।

2.0 जनशक्ति :

2.1 प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अधिकारी: मान्य एमबीबीएस योग्यता प्राप्त चिकित्सा अधिकारी जिन्हें प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण देने का अनुभव है।

2.2 प्रशिक्षक : न्यूनतम तीन; मान्यताप्राप्त पारामेडीक्स / नर्सिंग / ड्रेसिंग की योग्यता धारक व्यक्ति या वैध प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र के साथ पांच वर्षों का अनुभव प्राप्त व्यक्ति।

2.3 लिपिक / टाइपिस्ट/ डाटा ऑपरेटर

2.4 स्टोरकीपर/रिकार्ड कीपर

2.5 मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम टी एस)

2.6 सफाई कर्मी

3.0 उपकरण ;

3.1 मॉनिटर के साथ एडवांस फुल बॉडी सीपीआर मैनीकिन

3.2 यूनिवर्सल प्रिक्वॉसन किट (सुरक्षा चश्मा, डिस्पोजेबल लेटेक्स / विनाइल दस्ताने आदि)।

3.3 सरवाइकल कॉलर, माउथ पीस, अम्बो बैग, आई वॉश कप

3.4 प्राथमिक चिकित्सा पत्रिका

3.5 कठोर स्ट्रेचर - 2 नग (चार कंबल सहित)

स्पाइनल स्ट्रेचर - 1 नग

3.6 स्प्रिंट्स के सेट [1.40 मीटर, 0.90 मीटर और 0.30 मीटर], उसपर लगाने के लिए आवश्यक त्रिकोणीय पट्टियों के साथ

3.7 प्राथमिक उपचार बॉक्स -

(i) बड़ी और छोटी स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग तथा जले पर लगाने हेतु ड्रेसिंग की पर्याप्त आपूर्ति

(ii) कपास-ऊन की पर्याप्त आपूर्ति।

(iii) टिंचर आयोडीन या अन्य एंटीसेप्टिक घोल की आपूर्ति;

(iv) रोलर पट्टियों की आपूर्ति

(v) एक टूर्निकेट , कैंची और सेफ्टी पिन; तथा

(vi) तरल साबुन और सैनिटाइज़र

3.8 प्राथमिक उपचार प्रैक्टिस के पोस्टर

4.0 प्रमाण पत्र को निर्गत करना :

निर्धारित पाठ्यक्रम के पूरा होने पर मौखिक और व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने के बाद प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित सक्षमता प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं

वाउचर - 10 दिनों की व्याख्यान एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र के उपरान्त , मौखिक और व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् वाउचर प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र निर्गत किए जाएंगे, जिसकी वैधता पांच वर्षों की होगी।

मेडालियन - लगातार तीन वर्षों के लिए वैध वाउचर प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति, व्याख्यान और व्यावहारिक प्रशिक्षण के 10 दिनों के सत्र के पूरा होने और मौखिक और व्यावहारिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मेडालियन प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए पात्र होंगे। मेडालियन प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए वैध होगा।

उम्मीदवार का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर होंगे। प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रशिक्षण केन्द्र का मुहर (सील) भी प्रमाणपत्र पर होंगे।

5.0 पाठ्यक्रम :

प्राथमिक उपचार सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्न दिवस-वार प्राथमिक उपचार पाठ्यक्रम, एवं तत्पश्चात् मौखिक और व्यावहारिक परीक्षा आयोजित की जाएगी,

दिन - 1

व्याख्यान -

प्राथमिक चिकित्सा मूल सिद्धांत

प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचारकर्ता की परिभाषा

प्राथमिक उपचार का संक्षिप्त विवरण और प्राथमिक उपचार के उद्देश्य

प्राथमिक उपचारकर्ता की जिम्मेदारी

प्राथमिक उपचार के सुनहरे नियम

खुद को और पीड़ित को संदूषण से बचाना (यूनिवर्सल प्रिक्कासन)

आपातकालीन दृश्य प्रबंधन;

रोगी आकलन;

- प्राथमिक सर्वेक्षण;
- शारीरिक परीक्षा;
- इतिहास लेना;
- सिर से पैर की परीक्षा;
- जीवन के संकेत;

व्यावहारिक-

रोगी आकलन ,

दिन-2

व्याख्यान -

. ड्रेसिंग और पट्टियाँ;

- पट्टियों के कार्य;
- पट्टियों और ड्रेसिंग के प्रकार;
- पट्टियों और ड्रेसिंग के उपयोग के सामान्य नियम;

बुनियादी शरीर रचना का परिचय

- हाड पिंजर प्रणाली
- केंद्रीय स्नायुतंत्र

व्यावहारिक -

विभिन्न गाँठें, त्रिकोणीय पट्टी और शरीर के विभिन्न भाग और आर्म स्लिंग और इसका अनुप्रयोग

दिन -3

व्याख्यान -

फ्रैक्चर

- फ्रैक्चर की पहचान (संकेत और लक्षण)
- फ्रैक्चर का प्रकार
- फ्रैक्चर का स्थिरीकरण

व्यावहारिक-

अस्थिभंग का स्थिरीकरण : खोपड़ी की दबी चोट, निचले जबड़े, पसलियों, ब्रेस्टबोन, कॉलर-बोन, कंधा-ब्लेड, बांह, प्रकोष्ठ, हाथ का फ्रैक्चर

दिन -4

व्याख्यान -

मेडिकल सदमा का प्रबंधन

- सदमे का प्रकार
- सदमे की पहचान (चिन्ह और लक्षण)
- सदमे का इलाज (प्राथमिक चिकित्सा)

डीस्लोकेशन, स्प्रेन, स्ट्रेन- चिन्ह, लक्षण और उपचार।

व्यावहारिक -

फ्रैक्चर का स्थिरीकरण: श्रोणि, जांघ, घुटने की टोपी, पैर और फुट।

दिन -5

व्याख्यान-

घाव के प्रकार और प्रबंधन

रक्तस्राव

- रक्तस्राव के प्रकार;
- बाहरी रक्तस्राव को नियंत्रित करने के तरीके;
- रक्तस्राव के विशिष्ट प्रकार;

व्यावहारिक -

बाहरी रक्तस्राव का नियंत्रण

नकसीर - नियंत्रण।

दिन -6

व्याख्यान-

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का परिचय

कोरोनरी हृदय रोग और जोखिम कारक

दिल का दौरा और एनजाइना, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर)

व्यावहारिक-

मैनिकिन पर सीपीआर का अभ्यास

दिन -7

व्याख्यान -

श्वसन प्रणाली का परिचय

वायुमार्ग की रुकावट के कारण;

वायु मार्ग की रुकावट को दूर करने के उपाय

श्वसावरोध, हाइपोक्सिया, चोर्किंग

कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता

आंख, कान और नाक में फॉरेन बॉडी

व्यावहारिक-

वायुमार्ग बाधा - सचेत (हेमलिच मैनोउवर)

वायुमार्ग में रुकावट - बेहोश पीड़ित

बेहोश पीड़ित की देखभाल (रिकवरी पोजीशन)

दिन -8

व्याख्यान -

सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट

रीढ़ की हड्डी में चोट का प्रबंधन

- रीढ़ की हड्डी में चोट की पहचान
- घायल पीड़ित की देखभाल
- स्थिरीकरण और परिवहन

व्यावहारिक-

रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्ति के गर्दन का स्थिरीकरण

स्ट्रेचर पर लोडिंग-अनलोडिंग - रीढ़ की हड्डी में चोट वाले व्यक्ति का

दिन- 9

व्याख्यान -

एम्बुलेंस और उपकरण

बर्न, इलेक्ट्रोक्यूशन

गर्मी और सर्दी का प्रभाव और प्रबंधन

घायल व्यक्ति का परिवहन

व्यावहारिक-

घायल व्यक्ति का परिवहन:

स्ट्रेचर पर लोडिंग एवं अनलोडिंग, एम्बुलेंस में लोडिंग एवं अनलोडिंग

दिन 10

व्याख्यान -

डूबना

मधुमेह

विषाक्तता

डंसना और डंक

आक्षेप और मिर्गी

खानों में प्राथमिक चिकित्सा कानून।

सामूहिक चर्चा

दिन 11

परीक्षा-कुल 200 अंक

व्यावहारिक - पूर्ण अंक 160, उत्तीर्ण अंक 80

व्यावहारिक - 4 घटक

1. सीपीआर, 2. रक्तस्राव का नियंत्रण 3. फ्रैक्चर प्रबंधन 4. परिवहन

प्रत्येक व्यावहारिक घटक में 40 अंक होंगे

मौखिक - पूर्ण अंक 40, उत्तीर्ण अंक-20

मौखिक- 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे।

उम्मीदवार को प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होना होगा।

[फा. सं. जेड-20045/01/2018/वि.एवं त.(मु.)]

प्रभात कुमार, मुख्य खान निरीक्षक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 4th August, 2021

G.S.R. 529(E).—As required under sub-regulation (2) of Regulation 14 of the Coal Mines Regulations 2017, I, Prabhat Kumar, Chief Inspector of Mines, hereby, specify the following standards for the Institute /Training centers imparting First-Aid training and issuing First-aid competency certificate.

1.0 Infrastructure of the Center:

1.1 Lecture Hall- At least one Lecture hall, well ventilated, lighted and of adequate size with proper arrangement for sitting and taking notes, Computer with LED display/ LCD projector, projector screen, microphone & sound system, provision of White Board with white Board Pens are there.

1.2. Practical training gallery/hall- One gallery/hall well ventilated, lighted and of adequate size for practical training purpose.

1.3 First-aid Training Officer's Room - One room with suitable furniture and attached washroom.

1.4 Trainer's Rooms- At least one room with suitable furniture.

1.5 Record Room with computer system and suitable storage facilities for maintaining documents.

1.6 Staff room with furniture.

1.7 Pantry cum Cafeteria for serving refreshments.

1.8 Separate Washroom/toilet – for female and male

1.9 Arrangement for Clean & cooled drinking water.

2.0 Manpower :

2.1 First-aid Training Officer : A Medical officer having recognized M.B.B.S qualification with experience of imparting First-aid training.

2.2 Trainers - Minimum three (03) in number; having recognized qualification in paramedics/ nursing/dressing or holder of valid First-aid Certificate with five years experience.

2.3 Clerk/Typist/ Data operator

2.4 Store keeper/Record keeper

2.5. Multitasking Staff (MTS)

2.6 Cleaning Staff.

3.0 Equipment :

3.1 Advance Full body CPR manikin with monitor

3.2 Universal Precaution Kits (Safety goggles, Disposable latex / vinyl gloves etc.).

3.3 Cervical Collar, Mouth piece, Umbo bag, Eye wash cup

3.4 First-aid Manuals.

3.5 Hard stretcher- 2 nos (with four number blankets)

Spinal stretcher- 1 No

3.6 Sets of splints [1.40 metres, 0.90 metres and 0.30 metre], with necessary triangular bandages for applying them,

3.7 first-aid boxes –

(i) sufficient supply of large and small sterilized dressing and burn dressings.

(ii) sufficient supply of cotton-wool.

(iii) supply of tincture of iodine or other antiseptic solution;

(iv) supply of roller bandages

(v) tourniquet ,scissors and Safety pins; and

(vi) Liquid soap & sanitizers

3.8 Posters of First-aid practices.

4.0 First-aid Competency Certificate:

The following competency certificates can be issued to the trainees after duly conducting an oral and practical examination on completion of the syllabus.

Voucher – Voucher First-Aid Certificate after completion of 10 days session of lecture & practical training and passing in oral & practical examination, which shall be valid for 5 years.

Medallion – Persons holding valid Voucher Certificate for consecutive three years, shall be eligible for Medallion First-Aid Certificate after completion of 10 days session of lecture & practical training and passing in oral & practical examination. Medallion certificate shall be valid for life time.

Candidate's passport size color photograph and signature shall be put on the certificate. The First-aid Training Officer's signature and seal of the institute/training centre shall also be put on the certificate.

5.0 Syllabus:

Day-wise First Aid syllabus to be covered for issuing First Aid Competency certificate to the candidate after conducting Oral and practical examination:

Day-1

Lecture-

First Aid Basic Principles

Definition of First Aid & First Aider

Brief of First Aid & Aims of first Aid

Responsibilities of First Aider

Golden Rules of First-Aid

Protecting yourself & Victim against contamination (Universal Precaution)

Emergency Scene Management;

Patient Assessment;

- The Primary Survey;
- The Physical examination;
- History Taking;
- Head-To-Toe Examination;
- Vital Signs;

Practical-

Patient Assessment ,

Day -2

Lecture-

. Dressings and Bandages;

- Functions of Bandages;
- Types of bandages and dressings;
- General rules for using bandages and dressings;

Introduction to basic anatomy

- Musculoskeletal system
- Central nervous system

Practical-

Different knots, triangular bandage and its application to different part of body and Arm sling and its application

Day 3

Lecture-

Fracture

- Identifying fracture (sign and symptom)
- Type of fracture
- Immobilisation of fracture

Practical-

Immobilisation of Fracture : Depressed fracture of skull, lower jaw, Ribs, Breastbone, collar -bone, Shoulder- Blade, Arm, Forearm, Hand

Day -4

Lecture-

Management of Medical Shock

- Type of shock
- Identifying shock (sign and symptom)
- Treating shock (first aid)

Dislocations, Sprains, Strains- Signs, Symptoms and treatment.

Practical -

Immobilisation of Fracture : Pelvis, Thigh, Knee-cap, Leg and Foot.

Day-5

Lecture-

Wounds-types & management

Bleeding;

- Types of Bleeding;
- Methods to control external bleeding;
- Specific Types of Bleeding;

Practical -

Control of external bleeding

Nosebleed-control.

Day-6

Lecture-

Introduction to Cardiovascular System

Coronary Heart Diseases and Risk Factors

Heart attack and Angina, Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Practical -

Practice of CPR on Manikin

Day -7

Lecture-

Introduction to Respiratory System

Causes of Airway obstruction;

Methods of removing an airway obstruction

Asphyxia, hypoxia, choking

Carbon monoxide poisoning

Foreign bodies in Eye, Ear and Nose

Practical

Airway Obstruction – Conscious (Heimlich Manoeuvre)

Airway Obstruction – Unconscious Victim

Care of unconscious victim (Recovery Position)

Day -8

Lecture-

Head & Spinal injury

Management of Spinal Injury

- Identifying spinal injuries
- Care of the injured victim
- Immobilisation and transportation

Practical-

Stabilisation of neck in spinal injury

Stretcher loading- unloading of person having spinal injury

Day-9

Lecture-

Ambulance & Equipment

Burn , Electrocutation

Effect of heat and cold and management

Transport of the injured person

Practical-

Transport of injured person :

loading & unloading on the Stretcher, loading & unloading in the Ambulance.

Day 10

Lecture-

Drowning

Diabetes

Poisoning

Bites and stings

Convulsion & epilepsy

First-aid legislation in mines.

Group Discussion

Day 11

Examination-total 200 marks

Practical- Full Marks 160, Pass Marks 80

Practical- 4 components

1. CPR , 2. Control of bleeding 3. Fracture management 4. Transportation

Each practical component carries 40 marks

Oral – Full Marks 40 , Pass Marks-20

Oral- 10 Questions shall be asked , each question carries 4 marks

Candidate shall pass in Practical and Oral examination separately.

[F. No. Z-20045/01/2018/S. & T. (HQ)]

PRABHAT KUMAR, Chief Inspector of Mines